

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-89 (एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 24.07.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार संशोधन समाहित करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं तृतीय अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण खुरई श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव	तहसील खुरई एवं मालथौन	आपराधिक प्रकरण 1. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खुरई एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ) के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित आपराधिक अपील एवं पुनरीक्षण प्रकरण व्यवहार प्रकरण 2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, खुरई एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मालथौन (वर्तमान व पूर्व श्रृंखला न्यायालय में पदस्थ) के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील प्रकरण
2	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर श्री विनय सिंह राजपूत	जिला मुख्यालय सागर	1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण 2. माह जुलाई-अगस्त-सितम्बर 2025 में प्रस्तुत होने वाले रुपये 1/- अंकन एक रुपये से रुपये 5,00,000/- अंकन पांच लाख रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां 3. समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर एवं समस्त रिक्त प्रशिक्षु न्यायालय सागर के न्यायालय के निर्णीतशुदा प्रकरणों से उत्पन्न विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां

नोट- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष आदेश यथावत रहेगा।

(महेश कुमार शर्मा)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

24.07.2025

01/✓

4602
पृष्ठाकनं कमांक (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 24.07.2025

1. समस्त न्यायाधीशगण जिला स्थापना सागर ।
2. ऑब्जेक्शन क्लर्क सागर ।
3. प्रस्तुतकार/निष्पादन लिपिक, प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर/खुरई
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

24.07.2025